

**CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE YEARS 2015-2017**

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Republic of India hereinafter referred to as the "Parties",

Desirous of further development and promotion of cultural, scientific and technical relations between the two countries.

Recalling the Cultural Agreement signed between the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on 15 February 1976.

Have agreed on the following Executive Programme for Cultural Exchange for the period 2015-2017.

1. ART AND CULTURE

Article 1

The Parties shall encourage and support exchange and cooperation between the two countries in the fields of literature, performing arts, theatre, music, visual arts, and cultural industry by facilitating:-

- a) Exchange of artists, writers, poets, musicians and professionals in the field of culture.
- b) Exchange of cultural and musical troupes.
- c) Holding exhibitions of contemporary art on reciprocal basis in the field of art and culture.
- d) Exchange of information and materials in the field of culture.
- e) Exchange of books and periodicals dealing with art and culture.
- f) Support participation in international musical festivals, fairs, exhibitions, and other cultural events organized by each Party.
- g) Exchange of feature and documentary film.
- h) The translation and diffusion of cultural art works.
- i) The preservation and restoration of cultural and historical heritage.
- j) Exchange of 3-5 member writers' delegation on reciprocal basis.

Article 2

The Parties shall encourage and support the establishment of cooperative relations between cultural institutions, museums, archives and libraries in both countries by facilitating:

- a) Training of personnel in the field of Culture and Arts
- b) Promote cooperation in the field of historical, linguistic and literary studies, as well as the preservation and restoration of cultural and historical heritage
- c) Exchanging experience in the fields of libraries, museums and archiving with regard to the enforcement of copyright law.

Article 3

Children's Book trust in India shall encourage the exchange of children's drawing and participation of Jordanian Children in Shanker's International Children's competition in Cooperation with similar Jordanian institutions.

Article 4

The Parties shall encourage the cooperation between the Department of National Library in Jordan and The National Library in Calcutta through the exchange of specialists, experiences and specialized archival publications and copies of archive document (microfilms, scans), subject to the legal regulations applicable in each country.

Article 5

The Parties shall exchange "Cultural Days" in both countries, through organizing different activities. Details shall be agreed upon through diplomatic channels.

2. MASS MEDIA

Article 6

Both Parties will observe each other's National Days by broadcasting special /Radio/TV programmes on such occasion. The duration of such programmes will not exceed 20 minutes and the narration will be in the English language. This activity will be coordinated through the foreign office of the respective countries.

Article 7

During the validity of the programme, the two Parties will organize week long "Film Festival" at one or more centers and will also receive 2-3 film personalities of the other side along with a coordinating official of the respective organizations for duration of one week.

Article 8

Both Parties will invite each other to its International Film Festivals.

Article 9

Both Parties will provide technical facilities gratis to the coverage teams in the event of VVIP visits and on VVIP occasions.

Article 10

Both Parties shall endeavour to strengthen relation between their national broadcasting organizations by exchange of Programmes, professionals and by utilizing training expertise and facilities available in respective country.

3. YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

Article 11

Both Parties will encourage the Youth Organizations in each other's country to carry out the exchange and cooperation in the field of Youth Affairs. Details will be worked out through consultation by the Youth Organizations of both sides.

Both Parties would encourage and promote cooperation in the field of sports in general and exchange programmes involving sports persons, coaches administrators, scientific and technical personnel in particular.

4. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

Article 12

The sending Party will pay for the international travel fare to the persons and transport expenses of items for exchange stipulated in the present Executive Programme. The international travel fare and transport expense to be borne by the sending Party will be those incurred from the sending Party to the city where the official visit starts in the host country and from the city where the official visit ends on route back to the sending Party. The host country will provide the internal expenses, which will include suitable boarding and lodging, allowance for sundry expenses, local transportation allowance and medical treatment in case of emergency.

Article 13

The consular sections of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan in New Delhi and the Embassy of the Republic of India in Amman shall grant appropriate visas to cultural delegations, scholars and other participants under this Executive Programme.

Article 14

The sending Party will bear the cost of any extension of its delegation's period of stay in the host country beyond the period stipulated in the Executive Programme as agreed upon between the two parties.

Article 15

The sending Party shall cover the cost of insurance for the period that the exhibition is out of its country. In case the sending Party suffers any loss or damage to the exhibits, the receiving Party shall be obliged to get all the documents relating to the loss or enable the sending Party to claim compensation from the insurance. The costs connected with the acquisition of the said documents are to be covered by the receiving Party.

Article 16

Each Party will send to the other side bio-data (including language spoken) and proposed itinerary at least three months in advance of the expected date of visit of the delegation(s), individual(s), troupe(s), and ensemble(s) selected under this Programme.

Article 17

In case of visits exceeding one month, both Parties will agree upon financial terms in each case separately.

Article 18

Further consultations on details of the items for exchange stipulated in the present Executive Programme will be conducted between the Ministries and the Department concerned for the Indian side and the Ministry of Foreign Affairs for the Jordanian side.

Article 19


If found necessary additions or omissions of the articles in the present CEP will be made through consultations between the Ministry of Culture and other Ministries and Department concerned for the Indian side and the Ministry of Foreign Affairs for the Jordanian side.

Article 20

The present Executive Programme will enter into force from the date of its signing by both sides and shall remain valid up to 31 December 2017 or until the next programme is signed.

Done in Jordan on this 11th day of October 2015 in two originals, each in Hindi, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English version shall prevail.

**For The Government of the
Republic of India**



**(Anil Trigunayat)
Ambassador of India
to the Hashemite Kingdom of Jordan**

**For the Government of the
Hashemite Kingdom of Jordan**



**(Mohammad Taisir Bani Yassen)
Secretary General
Ministry of Foreign Affairs and
Expatriates**

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
जॉर्डन के हाशमी राज्य की सरकार
के बीच वर्ष 2015-17 के लिए
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा जॉर्डन के हाशमी राज्य की सरकार, जिन्हें आगे "दोनों पक्ष" कहा गया है,

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधों के और अधिक विकास एवं संवर्धन की इच्छा से प्रेरित होकर;

भारत गणराज्य की सरकार तथा जॉर्डन के हाशमी राज्य की सरकार के बीच दिनांक 15 फरवरी, 1976 को हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार का स्मरण करते हुए :

वर्ष 2015-17 की अवधि हेतु सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए निम्नलिखित कार्यकारी कार्यक्रमों पर सहमत हुए हैं:-

1. कला और संस्कृति

अनुच्छेद - 1

दोनों पक्ष, निम्नलिखित को सुगम बनाते हुए, साहित्य, मंच कला, रंगमंच, संगीत, दृश्य कला और सांस्कृतिक उद्योग के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित एवं समर्थित करेंगे :

- क) संस्कृति के क्षेत्र में कलाकारों, लेखकों, कवियों, संगीतज्ञों और व्यवसायिकों का आदान-प्रदान करेंगे।
- ख) सांस्कृतिक और संगीत संबंधी मंडलियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- ग) कला और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर आधार पर समकालीन कला संबंधी प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे।
- घ) संस्कृति के क्षेत्र में सूचना और सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- ङ) कला और संस्कृति विषयक पुस्तकों तथा आवधिक पत्रिकाओं का आदान-प्रदान करेंगे।
- च) एक-दूसरे पक्ष द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवों, मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेने हेतु सहयोग करेंगे।
- छ) फीचर फिल्म और वृत्तचित्र का आदान-प्रदान करेंगे।

- ज) सांस्कृतिक कलाकृतियों का अनुवाद और प्रसार करेंगे।
झ) सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार करेंगे।
ञ) परस्पर आधार पर 3-5 सदस्यीय लेखकों के प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 2

दोनों पक्ष, निम्नलिखित को सुगम बनाते हुए दोनों देशों में सांस्कृतिक संस्थाओं, संग्रहालयों, अभिलेखागारों और पुस्तकालयों के बीच सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित एवं समर्थित करेंगे:

- क) संस्कृति और कला के क्षेत्र में कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
ख) ऐतिहासिक, भाषायी और साहित्यिक अध्ययनों के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत के परिरक्षण और जीर्णोद्धार के क्षेत्र में सहयोग को संवर्धित करेंगे।
ग) कॉपीराइट कानून के प्रवर्तन के संबंध में पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागार के क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 3

भारत का बाल पुस्तक न्यास, जॉर्डन पक्ष की सदृश संस्थाओं के सहयोग से बाल चित्रों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा और शंकर अंतरराष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता में जॉर्डन के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद - 4

दोनों पक्ष, प्रत्येक देश में उपयुक्त कानूनी विनियमों के अध्यक्षीय विशेषज्ञों, अनुभवों, खर्चों तथा विशिष्ट अभिलेखीय प्रकाशनों एवं अभिलेखागार संबंधी दस्तावेजों (लघु फिल्मों, स्कैन्स) की प्रतियों के आदान-प्रदान के माध्यम से जॉर्डन में राष्ट्रीय पुस्तकालय विभाग और कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद - 5

दोनों पक्ष, विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हुए, दोनों देशों में "सांस्कृतिक दिवसों" का आदान-प्रदान करेंगे। इस संबंध में ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से तय किए जाएंगे।

2. जनसंचार माध्यम

अनुच्छेद - 6

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष/रेडियो/टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण करते हुए इन दिवसों को मनाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों की अवधि 20 मिनट से अधिक नहीं होगी तथा इसकी व्याख्या अंग्रेजी भाषा में होगी। इस कार्यकलाप को संबंधित देशों के विदेश कार्यालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

अनुच्छेद - 7

इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों पक्ष एक या एक से अधिक केंद्रों पर सप्ताह भर चलने वाले "फिल्म महोत्सव" का आयोजन करेंगे तथा एक सप्ताह की अवधि के लिए संबंधित संगठनों के एक समन्वय अधिकारी सहित एक-दूसरे की 2-3 फिल्मी हस्तियों का भी स्वागत करेंगे।

अनुच्छेद - 8

दोनों पक्ष, एक-दूसरे को अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद - 9

दोनों पक्ष, वीवीआईपी दौरे और वीवीआईपी अवसरों पर इन्हें कवर करने वाली टीमों को मुफ्त में तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 10

दोनों पक्ष, कार्यक्रमों, व्यवसायिकों का आदान-प्रदान करते हुए तथा अपने-अपने संबंधित देशों में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता एवं सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंध सुदृढ़ करने हेतु प्रयास करेंगे।

3. युवा मामले एवं खेल

अनुच्छेद - 11

दोनों पक्ष, युवा मामलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए एक-दूसरे के देशों में युवा संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों पक्षों के युवा संगठनों से परामर्श के माध्यम से विचार-विमर्श द्वारा इनके विस्तृत बयौरे निर्धारित किए जाएंगे।

दोनों पक्ष, सामान्य रूप से खेल के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करने के साथ-साथ विशेषकर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रशासकों, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को शामिल करते हुए कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

4. सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान

अनुच्छेद - 12

प्रेषक देश, वर्तमान कार्यकारी कार्यक्रम में निर्धारित आदान-प्रदान के तहत व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा किराए तथा मर्दों के परिवहन व्यय का भुगतान करेगा। प्रेषक पक्ष द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा किराए और परिवहन खर्च का वहन किया जाएगा और इसमें प्रेषक पक्ष द्वारा मेजबान देश के उस शहर तक किया गया व्यय जहां आधिकारिक यात्रा शुरू होती है तथा प्रेषक देश में लौटने का वह शहर जहां आधिकारिक यात्रा समाप्त होती है, तक किया गया व्यय शामिल होगा। मेजबान देश आंतरिक व्ययों को वहन करेगा जिसमें उपयुक्त भोजन और आवास, विविध व्ययों के लिए भत्ता, स्थानीय परिवहन भत्ता तथा आपातकालीन मामलों में सुविधा शामिल होगी।

अनुच्छेद - 13

नई दिल्ली स्थित जॉर्डन के हाशमी राज्य की सरकार के वाणिज्य दूतावास संबंधी अनुभागों और अम्मान स्थित भारत गणराज्य का दूतावास इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों और अन्य सहभागियों को उपयुक्त वीजा प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 14

प्रेषक पक्ष, दोनों देशों के बीच यथा सहमत इस कार्यकारी कार्यक्रम में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक मेजबान देश में अपने प्रतिनिधिमंडल के ठहरने की अवधि संबंधी लागत को वहन करेगा।

अनुच्छेद - 15

प्रेषक पक्ष, उस अवधि हेतु बीमा की लागत को वहन करेगा जिस दौरान प्रदर्शनी उसके देश से बाहर है। यदि प्रेषक पक्ष के प्रदर्शों को कोई हानि अथवा क्षति पहुंचती है, तो मेजबान पक्ष हानि से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रदान करने के लिए बाध्य होगा जिससे प्रेषक पक्ष बीमा द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा करने में सक्षम हो सके। उक्त दस्तावेजों को प्राप्त करने से संबंधित लागत मेजबान पक्ष द्वारा वहन की जाएगी।

अनुच्छेद - 16

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (ज्ञात भाषाओं सहित) तथा प्रस्तावित यात्राक्रम, इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रतिनिधिमंडलों, व्यक्तियों, मंडलियों तथा समूहों की यात्रा की अपेक्षित तिथि के कम से कम तीन माह पूर्व दूसरे पक्ष को प्रेषित करेगा।

अनुच्छेद - 17

एक माह से अधिक अवधि की यात्राओं के मामले में, दोनों पक्ष प्रत्येक मामले में पृथक रूप से वित्तीय शर्तों के संबंध में सहमति व्यक्त करेंगे।

अनुच्छेद - 18

वर्तमान कार्यकारी कार्यक्रम में निर्धारित आदान-प्रदान हेतु मदों के ब्यौरों के संबंध में आगे के विचार-विमर्श, भारतीय पक्ष की ओर से संबंधित मंत्रालय और विभाग तथा जॉर्डन पक्ष की ओर से विदेश मंत्रालय के बीच आयोजित किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 19

यदि आवश्यक समझा गया तो, भारतीय पक्ष की ओर से संस्कृति मंत्रालय और अन्य मंत्रालय और विभाग तथा जॉर्डन पक्ष की ओर से विदेश मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श द्वारा वर्तमान आदान-प्रदान कार्यक्रम में अनुच्छेदों का संयोजन अथवा विलोपन किया जाएगा।

अनुच्छेद - 20

वर्तमान कार्यकारी कार्यक्रम दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा तथा 31 दिसम्बर 2017 तक अथवा अगले कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक वैध होगा।

इस करार पर जार्डन में 11 अक्टूबर, 2015 को हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए और ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य है।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



(अनिल त्रिगुणायत)

जार्डन के हाशमी अधिराज्य में
भारत के राजदूत

जार्डन के हाशमी अधिराज्य
की ओर से



(मोहम्मद तासिर बानी यासिन)

महानिदेशक

प्रवासी एवं विदेश मंत्रालय